

न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)
(समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)

आपराधिक प्र.क.: 722 / 2014

संस्थित दि: 08 / 08 / 2014

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र गढ़ी,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — अभियोगी

विरुद्ध

ब्रजलाल पिता रामसिंह परते, उम्र 38 साल,
निवासी निवास थाना गढ़ी, जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — आरोपी

—:: उपापण — आदेश ::—

(आज दिनांक 14 / 09 / 2014 को उपार्पित किया गया)

(01) इस आदेश द्वारा प्रकरण के उपापण पर विचार किया जा रहा है ।

(02) प्रकरण में आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में है ।

(03) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी छोटू मरावी ने दिनांक 25.06.2014 को इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाई कि उसके छोटे बच्चे श्यामलाल ने उसे बताया कि संध्या के पिता ने नाना और नानी को मार दिया है तब वह गांव के बोधसिंह और मनोज को लेकर उसके नाना मंसाराम के घर गया तो उसने देखा कि मंसाराम अपने घर अन्दर मरे पड़े हैं और मंसाराम की लड़की कान्तीबाई का शव आंगन में पड़ा है। उसने आस-पड़ोस में पूछा तो आस-पड़ोस के व्यक्तियों ने बताया कि ब्रजलाल ने उसके नाना मंसाराम और मौसी मां कान्तीबाई की इस बात की रंजिश को लेकर धारधारा गंडासे से मारकर हत्या कर दी कि मृतक मंसाराम जादूटोना करता है और जादूटोना के कारण उसकी (ब्रजलाल) पत्नी बीमार होकर दुबली हो रही है। फरियादी की रिपोर्ट पर से आरक्षी केन्द्र गढ़ी में आरोपी ब्रजलाल के विरुद्ध अपराध क्रमांक 54 / 14 अन्तर्गत धारा 302 भा.दं.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302, 450, 449 के तहत यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।

(04) उपापण पर उभयपक्षों को सुना गया ।

(05) प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि आरोपी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा

302, 450, 449 का अपराध परिलक्षित होता है। उक्त धाराएं माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से प्रकरण को माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय, बालाघाट के न्यायालय में उपार्पित किया जाता है।

- (06) आरोपी को धारा 207 द0प्र0सं0 के अनुसार अभियोग-पत्र की नकलें दी गईं।
- (07) उपार्पण की सूचना लोक अभियोजक, बालाघाट व मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी महोदय, बालाघाट को भेजी जावे।
- (08) प्रकरण में आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध होने से उसका कमीटल वारंट जारी कर माननीय सत्र न्यायालय बालाघाट के समक्ष दिनांक **29.09.2014** को ठीक पूर्वान्ह में 11.00 बजे उपस्थित रखने हेतु जेल अधीक्षक, उपजेल बैहर को निर्देशित किया गया।
- (09) प्रकरण में जप्तुशदा सम्पत्ति अन्तिम प्रतिवेदन में दर्शाये अनुसार एफ.एस.एल सागर जांच हेतु भेजा जाना दर्शित है।

आदेश हस्ताक्षरित, दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

आदेश मेरे उद्बोधन पर
टंकित किया गया।

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट